



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited

सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सादामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



PGCIL/R/2019/80034
Dated : 30 April, 2019

Raju Kumar Bairwa,
Raj Kumar Barwa, S/o Babu lal Barwa, Village- Nayagaon, Post - Malwas, Vaya - Nangal - Rajasthan,
Tehsil - Lavad, Distt - Dosa, Rajasthan,

Sub: Information under Right to Information Act, 2005.

Sir/Madam,

This has reference to your RTI request dated 1 April, 2019 for providing information under RTI Act, 2005.

The desired information is attached at Annexure-I.

First Appeal, if any, against the reply of CPIO may be made to the first appellate Authority within 30 days of the receipt of the reply of CPIO. Details of Appellate Authority at Corporate Centre, Gurgaon, under RTI Act, 2005 is as below:

Shri Sanjeev Singh,
Executive Director (CMG) & Appellate Authority
Corporate Centre, Power Grid Corporation of India Limited
"Saudamini", Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon – 122007, Haryana.
Email ID: sanjeev@powergridindia.com
Phone No. 0124-2571962

Thanking you,

भवदीय,

जसबीर सिंह
30/4/2019

वरिष्ठ महाप्रबंधक (के. आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

श्री राजू कुमार बैरवा ,दौसा, राजस्थान के RTI का जवाब

प्रश्न 1	Electricity बोर्ड/ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड/विद्युत बितरण निगम लिमिटेड/विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड / बिजली बितरण निगम लिमिटेड/ electricity रेग्युलेटरी कमिशन आदि समस्त बोर्ड/निगम/कंपनी में विद्युत कर्मचारी नियमित कार्यरत जिनकी कार्य के दौरान मृत्यु होने के पश्चात, अनुकंपात्मक नियुक्ति के क्या नियम एवं आदेश हैं? समस्त आदेशों की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि भेजकर अवगत करवाएँ।
उत्तर	पावरग्रिड में प्रत्येक कर्मचारी के आश्रितों में से एक को रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है जो ड्यूटी के दौरान हुए दुर्घटना के परिणामस्वरूप स्थायी रूप से अक्षम हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है (प्रति संलग्न)। उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार, कर्मचारी के पत्नी / पति / पुत्र / पुत्री / कानूनी रूप से दत्तक पुत्र / पुत्री ही केवल आश्रित की परिभाषा में आते हैं।
प्रश्न 2	विद्युत मंत्रालय के अधीन समस्त कार्यकारी विभाग बोर्ड, निगम, कंपनी, रेग्युलेटरी कमिशन आयोग आदि में कार्यरत नियमित अविवाहित कर्मचारी जिसकी कार्य के दौरान मृत्यु होने के पश्चात अनुकंपा नियुक्ति के लिए मृतक कर्मचारी का "भाई" भी अनुकंपात्मक नियुक्ति के लिए पत्र या हकदार है या नहीं, यदि हाँ तो समस्त आदेशों की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि भेजकर अवगत करवाएँ।
उत्तर	पावरग्रिड के परिपेक्ष में नहीं
प्रश्न 3	विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली में पूर्व में माननीय न्यायालयों के आदेशों द्वारा किसी मृतक कर्मचारी अविवाहित की जगह अविमानता के आधार पर उसके भाई को आश्रित की श्रेणी में मानते हुए अनुकंपा नियुक्ति विद्युत मंत्रालय विबह, नई दिल्ली द्वारा प्रदान की गई है, तो न्यायालय/कोर्ट के आदेशों की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि भेजकर अवगत करवाएँ?
उत्तर	पावरग्रिड के परिपेक्ष में नहीं

रजिस्टार



MEMORANDUM OF AGREEMENT



POWERGRID NATIONAL BIPARTITE COMMITTEE

NEW DELHI
21st AUGUST, 1995


पावर गिड नॅशनल बिपार्टीट कमिटी

(भारत सरकार का कार्यालय)

डिप्युटी सचिव, दसवीं मंजिल, 89, नेहरू रोड नई दिल्ली - 110 019

दूरभाष : 6428808, तार : 'नेटग्रिड', टेलीफैक्स : 66138, 65949

फैक्स : 011-6466823, 6428357



(d) The above assistance at (b) and (c), however, will not be applicable in cases where LTC is availed on certification basis or to Home Town.

6.5.4 Employment to one dependent of each workman who is permanently disabled or dies as a result of accident while on duty, will continue to be provided as at present. Dependent for this purpose will mean spouse of the employee, his/her son or daughter or legally adopted son/daughter.

RTI REQUEST DETAILS		
Registration No. :	PGCIL/R/2019/80034	Date of Receipt : 29/03/2019
Transferred From :	Ministry of Power on 29/03/2019 With Reference Number : POWER/R/2019/00124	
Remarks :	Application transferred under section 6(3) of RTI Act, 2005.	
Type of Receipt :	Electronically Transferred from Other Public Authority	Language of Request : English
Name :	Raju Kumar Bairwa	Gender : Male
Address :	NayaGaon	
State :	Details not provided	Country : Details not provided
Phone No. :	Details not provided	Mobile No. : Details not provided
Email :	Details not provided	
Status(Rural/Urban) :	Details not provided	Education Status : Details not provided
Letter No. :	Details not provided	Letter Date : 25/03/2019
Is Requester Below Poverty Line ? :	No	Citizenship Status : Indian
Amount Paid :	10)	Mode of Payment : Postal Order
Does it concern the life or Liberty of a Person ? :	No(Normal)	Request Pertains to :
Information Sought :	Application attached.	
Original RTI Text :	Application attached.	
<input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Close"/>		

इच्छा का अधिभार अधिनियम 2005
धारा 2(आ) के तहत आवेदन पत्र

लोकसूचना अधिकारी का नाम: — श्रीमान महोदय,

पद का नाम: — सहायक सचिव महोदय,

पता: — विधुल मंत्रालय, भारत सरकार

अम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली
 भारत, 110001

फोन: — 011 — 23717474

US(Admn.-I)
 US(Admn.-II)
 AM orgn. of MoP
 इच्छा मन्त्रालय

28/3/19

1. इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड/कार्ज विकास निगम लिमिटेड/विधुल वितरण निगम लिमिटेड/विधुल वितरण कम्पनी लिमिटेड/विजली वितरण निगम लिमिटेड/इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन आदि समस्त बोर्ड/निगम/कम्पनी में विधुल कर्मचारी नियमित कार्यरत जिनकी कार्य के दौरान (on duty) हट्टु होने के पश्चात, अनुकम्पात्मक नियुक्ति के ब्या नियम एवं आदेश हैं। समस्त आदेशों की प्रमावित ध्याया प्रतिलिपि भेजकर अवगत करवावे ?

2. विधुल मंत्रालय के अधीन समस्त कार्यकारी विभाग बोर्ड, निगम, कम्पनी, रेगुलेटरी कमीशन आयोग आदि में कार्यरत नियमित अविनाहित कर्मचारी जिसकी कार्य के दौरान हट्टु होने के पश्चात अनुकम्पात्मक नियुक्ति के लिए हतक कर्मचारी का "भाई" भी अनुकम्पात्मक नियुक्ति के लिए पात्र या हकदार हैं। या नहीं, यदि हां तो समस्त आदेशों की प्रमावित ध्याया प्रतिलिपि भेजकर अवगत करवावे ?

3. विधुल मंत्रालय, नई दिल्ली में पूर्व में माननीय न्यायालयों के आदेशों द्वारा किसी हट्टु कर्मचारी अविनाहित की जगह ठाकिमानता के आधार पर उसके भाई को आश्रित की श्रेणी में मानते हुए अनुकम्पात्मक नियुक्ति विधुल मंत्रालय, विभाग नई दिल्ली, द्वारा प्रदान की गई हैं, तो न्यायालय/कोर्ट के आदेशों की प्रमावित ध्याया प्रतिलिपि भेजकर अवगत करवावे ?

US/RTI
 28/3/19
 E-294025/2019/Admn

स्थान: — नयागाँव

दिनांक: — 25/03/2019

संलग्न दस्तावेज

1. राशन कार्ड BPL/2002 की फोटो प्रतिलिपि

2. 10/- रू का IPO की डक संख्या AIF-329660

राशन कार्ड संख्या — BPL-0078 82700/80

BPL सर्वे कुमांठ — 2002/6389253

राजकुमार

पार्थी

राजू कुमार बैरवा S/O लखुलाल बैरवा

ग्राम - नयागाँव, मोस्ट-मलवास,

(नाया नांगल - राजावतान)

तहसील - लवाण,

जिला दोसा, (राजस्थान) 303303

भारतीय डाक सेवा
 डाक टिकट
 डाक टिकट का नाम
 डाक टिकट का मूल्य
 डाक टिकट का प्रकार
 डाक टिकट का नंबर
 डाक टिकट का जारी करने का तिथि
 डाक टिकट का जारी करने का स्थान
 डाक टिकट का जारी करने का अधिकारी



087662700190

पूरा पत्ता दादा देवी, पोस्ट, राजस्थान, बीकानेर, नया गांव,
 हनुमानगढ़, राजस्थान, भारत, 330001

पीपीएल सर्वे क्रमांक 5389253 भवन नंबर 2002
 इस कनेक्शन प्रकार नहीं

काल प्रगती पर
(Signature)

लायकर बाता नहीं
 उचित मूल्य की दुकान का विवरण
 डाक टिकट नंबर 12111

विवरण	दिनांक	मूल्य	प्रकार
डाक टिकट	20	10	पेटी
डाक टिकट	23	10	पेटी
डाक टिकट	19	10	पेटी
डाक टिकट	4	10	पेटी
डाक टिकट	4	10	पेटी

डाक टिकट का मूल्य - 6 / डाक टिकट का प्रकार - 4 / डाक टिकट का नंबर - 2
 Officially Signed by विकास अधिकारी, दोसा

(Signature)
 21/02/2002